



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी



उत्तराखण्ड शासन

E-Mail. pdpwwdki@yahoo.com

Fax No- 01374-222108

Tel No- 01374-222108

पत्रांक 687 / वनभूमि

दिनांक 30/03/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
कोट बंगला, वनप्रभाग,
उत्तरकाशी।

विषय:-

रा०यो० के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के डुण्डा - धनारी - सेम - मुखेम मोटर मार्ग का पटुडी से आगे सेम नागराजा मन्दिर तक निर्माण। (ल०-10.00 किमी०)

सन्दर्भ :-

आपका पत्रांक- 3221/12-1, कोट बंगला दिनांक 05/03/2021

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक इस मोटर मार्ग की स्वीकृति 2488/111(2)/06-3 मु०मं०घो०/2008 दिनांक 25/07/08 के द्वारा 10.00 किमी० लम्बाई में रू० 367.50 लाख मात्र की स्वीकृति प्राप्त है।

यह मोटर मार्ग पटुडी से आगे 3 किमी निर्मित मार्ग के पश्चात प्रारम्भ होगा व इसके आगे 2.50 किमी० भाग में ग्रामीणों के फलदार वृक्षों के बगीचे स्थित हैं जिसमें सेब इत्यादि के फलदार वृक्ष हैं। उक्त कार्य न होने के कारण ग्रामीणों को अपनी उपज में मण्डी में न पहुँचाने के कारण आर्थिक हानि हो रही है व कोरोना की वजह से जो लोग अन्य राज्यों से अपने घर लौटे हैं पुनः उनके पलायन का खतरा उत्पन्न हो रहा है। पलायन रोकने हेतु भी राज्य सरकार द्वारा मार्गों की सुविधाएं देना प्राथमिकता में शामिल है जिस हेतु माननीय विधायक जी द्वारा भी कार्य के शीघ्र निर्माण की संस्तुति की है। साथ ही साथ उक्त कार्य का धार्मिक महत्व भी है, जिसको देखते हुए ही क्षेत्र की मांग पर सरकार द्वारा सेम नागराजा मन्दिर को जोड़ने हेतु 10.00 किमी० मार्ग निर्माण हेतु वर्ष 2008 में स्वीकृति जारी की गई थी। उक्त स्वीकृति स्थानीय निवासी/ग्रामीणों की आस्था को देखते हुए सेम नागराजा मन्दिर से 2.00 किमी० पूर्व तक ही दी गई थी। क्योंकि लोगों की मान्यता के अनुसार पैदल चलना आस्था का प्रतीक है। इस कार्य के निर्माण से तीर्थोत्सव व पर्यटन का बढावा मिलेगा। जिससे यमुना घाटी व इसके आसपास के श्रद्धालुओं को कम दूरी वाले मोटर मार्ग का लाभ मिलेगा। जिसमें स्वीकृत धनराशि में पूर्ण योजना को सम्पादित किया जाना है। वर्तमान में श्रमिकों व सामग्री की दसों में वृद्धि होने से मार्ग के निर्माण में कमी होने की सम्भावना होगी जिस हेतु मोटर मार्ग की forest clearance शीघ्र प्राप्त होने पर कार्य स्वीकृत धनराशि में पूर्ण किया जा सकेगा।

अतः मोटर मार्ग के निर्माण की औचित्यपूर्ण आख्या उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
उत्तरकाशी।

687/वनभूमि 30/3/2021
प्रतिलिपि:- सहायक अभियन्ता -II को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०,
उत्तरकाशी।
DyI